रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27102025-267169
CG-MH-E-27102025-267169

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2025/ कार्तिक 2, 1947
No. 686] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/ KARTIKA 2, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 22 अक्तूबर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/269.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में, —

(1) विनियम 2 में,

(क) खंड (कक) के बाद और खंड (कख) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

"(ककक) "बोर्ड" का अर्थ है – अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी);"

(2) हटाए गए विनियम 9ख के बाद और विनियम 10 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् –

"**अनुमत कार्य आदि**

9ग. (1) डिबेंचर न्यासी:

(क) वित्तीय क्षेत्र के किसी दूसरे विनियामक (रेग्यूलेटर) [जो बोर्ड बताए] के दायरे में आने वाले कार्य आदि भी, वित्तीय क्षेत्र के उस विनियामक द्वारा जारी किए गए विनियमों (रेग्यूलेशन्स) या दिशानिर्देशों (गाइडलाइंस) के अनुसार, कर सकेगा; और/या

(ख) बोर्ड या वित्तीय क्षेत्र के किसी दूसरे विनियामक (रेग्यूलेटर) के दायरे में न आने वाले कार्य आदि भी कर सकेगा, जिनके लिए फीस ली जाए, जिनके लिए फंड का कोई लेनदेन न हो और जो वित्तीय सेवा क्षेत्र से जुड़े हों,

किंतु ये कार्य आदि डिबेंचर न्यासी द्वारा अलग बिजनेस यूनिट बनाकर किए जाएँगे और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यों का आपस में किसी भी तरह का कोई संबंध न रहे, और ऐसा उस तरह से किया जाएगा तथा उन शर्तों के तहत किया जाएगा जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए:

परंतु यह कि जो डिबेंचर न्यासी भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आता हो, वह डिबेंचर न्यासी से संबंधित कार्य एक अलग बिजनेस यूनिट बनाकर करेगा:

परंतु यह और कि जिस डिबेंचर न्यासी को इन विनियमों के तहत पहले ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मिला हुआ हो, वह अपने कार्यों को अलग बिजनेस यूनिट (यूनिटें) बनाकर उस बिजनेस यूनिट (उन बिजनेस यूनिटों) में ट्रांसफर कर सकेगा, और ऐसा उसे प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2025 के राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से छह महीनों की अवधि के भीतर या बोर्ड द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर करना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों "वित्तीय क्षेत्र के विनियामक (रेग्यूलेटर)" का अर्थ होगा - भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और ऐसे दूसरे प्राधिकरण, जो बोर्ड द्वारा बताए जाएँ ।

(2) डिबेंचर न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि उप-विनियम (1) में जिन कार्यों आदि का जिक्र किया गया है, उन पर किसी भी तरह के पड़ने वाले असर का प्रभाव इन विनियमों में निर्धारित शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पर न पड़े ।"

(3) विनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"14. प्रत्येक डिबेंचर न्यासी, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इसकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 के विनियम 18 के उप-विनियम (1) के तहत बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले फॉर्मेट में तैयार की गई और बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली समय-सीमाओं के भीतर प्रस्तुत की गई उन ट्रस्ट डीड (न्यास विलेखों) को स्वीकार करेगा, जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 71 में और कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में दिए हुए फॉर्म नं. एसएच. 12 में दी हुई बातें शामिल हों:

परंतु यह कि ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) हेतु निर्धारित किए गए फॉर्मेट में यदि कोई फेरबदल कर दिया जाए, तो ऐसे में डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) उसे तभी स्वीकार कर सकेगा जब सामान्य सूचना दस्तावेज [जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट] या मुख्य सूचना दस्तावेज [की-इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट] या शेल्फ प्रॉस्पेक्टस में इश्युअर (निर्गमकर्ता) इस प्रकार किए गए फेरबदल का एक संक्षिप्त ब्यौरा (की-समरी शीट) दे दे और उसमें यह भी बता दे कि इस प्रकार फेरबदल किए जाने के पीछे क्या तर्क है।"

(4) विनियम 15 में, उप-विनियम (5) हट जाएगा;

(5) विनियम 15 के बाद और विनियम 16 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् –

"ऐसे अधिकार, जिनका प्रयोग करके डिबेंचर न्यासी अपने कर्तव्य, अपने दायित्व, अपनी भूमिकाएँ और अपनी जिम्मेदारियाँ बेहतर ढंग से निभा पाएँगे

15क. (1) डिबेंचर न्यासी अपने दायित्व निभाने के लिए इश्युअर (निर्गमकर्ता) के बही-खातों (लेखा बहियों), रिकॉर्ड तथा रजिस्टरों और न्यास की संपत्ति (ट्रस्ट प्रॉपर्टी) का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) डिबेंचर न्यासी:

(क) इश्यू के सिलसिले में इश्युअर से सूचना / दस्तावेज मँगा सकेगा;

(ख) उन इंटरमीडियरीज़ (मध्यवर्तियों) से दस्तावेज मंगा सकेगा, जिनके बारे में बोर्ड समय-समय पर बताए।

(3) डिबेंचर न्यासी, डिबेंचर धारकों (डिबेंचर होल्डर्स) की सहमति से, *रिकवरी एक्सपेंस फंड* का इस्तेमाल उसी तरह से कर सकेगा, जैसा बोर्ड बताए।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./420/2025-26]

<u>पाद टिप्पण</u> :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, मूल विनियम सं. सेबी/एल.ई./12/93, द्वारा 29 दिसम्बर, 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 तत्पश्चात्:

क) 28 नवम्बर 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, का.आ. 939 (अ), द्वारा

ख) 5 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. 16 (अ), द्वारा

ग) 30 सितम्बर 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. 795 (अ), द्वारा

घ) 17 फरवरी 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. 135 (अ), द्वारा

ङ) 8 अगस्त 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. 743(अ), द्वारा

च) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. 278 (अ), द्वारा

छ) 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. 476 (अ), द्वारा

ज) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का. आ. 1045(अ), द्वारा

झ) 4 जुलाई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. 763 (अ), द्वारा

ञ) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. 398(अ), द्वारा

ट) 7 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. 1451 (अ), द्वारा

ठ) 26 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा

ड) 13 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कुछ मध्यवर्तियों [इंटरमीडियरीज़] के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/03/12650, द्वारा

ढ) 5 जुलाई 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/13/21222, द्वारा

ण) 14 दिसम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/30/37715, द्वारा

त) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

थ) 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन)] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा

द) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा

ध) 13 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/011, द्वारा

न) 7 मई 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/14, द्वारा

प) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

फ) 8 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/34, द्वारा

ब) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23, द्वारा

भ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

म) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/78, द्वारा

य) 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/115, द्वारा

कक) 4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा

खख) 18 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा

गग) 10 फरवरी, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक चार्टर) (संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/228, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd October, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DEBENTURE TRUSTEES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/269.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, —

(1) in regulation 2,

(a) after clause (aa) and before clause (ab), the following clause shall be inserted, namely-

"(aaa) "Board" means the Securities and Exchange Board of India established under sub-section (1) of section 3 of the Act;";

(2) after the omitted regulation 9B and before regulation 10, the following regulation shall be inserted, namely–

"Permitted Activities**.**

9C. (1) A debenture trustee may also undertake:

(a) activities which fall under the purview of any other financial sector regulator specified by the Board, in accordance with the regulations or guidelines issued by such financial sector regulator; and/or

(b) activities that do not fall under the purview of the Board or any other financial sector regulator, which shall be fee-based, non-fund based and pertain to the financial services sector;

on an arms-length basis through separate business units of such debenture trustee, in such a manner and subject to such other conditions as may be specified by the Board:

Provided that a debenture trustee which is also regulated by the Reserve Bank of India, shall carry out the activity of debenture trustee through separate business unit of such debenture trustee:

Provided further that a debenture trustee that already holds a certificate of registration under these regulations may transfer its activities, to separate business unit (s), within a period of six months from the notification of the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) (Amendment) Regulations, 2025 in the Official Gazette, or such extended period that the Board may specify.

Explanation**:** — For the purpose of this regulation, the expression "financial sector regulator" shall mean the Reserve Bank of India, the Insurance Regulatory and Development Authority of India, the Pension Fund Regulatory and Development Authority, the International Financial Services Centres Authority, the Insolvency and Bankruptcy Board of India, the Ministry of Corporate Affairs and such other authorities as may be specified by the Board.

(2) A debenture trustee shall ensure that the net worth specified under these regulations is ring-fenced from any adverse impact that may arise from undertaking the activities specified under sub-regulation (1)."

(3) regulation 14 shall be substituted with the following regulation, namely-

"14. Every debenture trustee shall amongst other matters, accept the trust deeds which shall contain the matters as specified in section 71 of Companies Act, 2013 (18 of 2013) and Form No.SH.12 specified under the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, in such format and within such timelines as specified by the Board from time to time under sub-regulation (1) of regulation 18 of Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021:

Provided that in case any deviation from the format specified for the trust deed, the debenture trustee may accept such deviations if a key summary sheet capturing the deviations along with the rationale for the same is provided by the issuer in the General Information Document/ Key Information Document or Shelf Prospectus.";

(4) in regulation 15, sub-regulation (5) shall be omitted;

(5) after regulation 15 and before regulation 16, the following regulation shall be inserted, namely-

"Rights of debenture trustees exercisable to aid in performance of their duties, obligations, roles and responsibilities.

15A. (1) A debenture trustee may inspect books of account, records, and registers of the issuer and the trust property to the extent necessary for discharging its obligations.

(2) A debenture trustee may call for:

(a) information/ documents from the issuer with respect to the issue;

(b) documents from such intermediaries, as may be specified by the Board from time to time.

(3) A debenture trustee may utilise the Recovery Expense Fund, with the consent of the debenture holders, in the manner as specified by the Board.".

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./420/2025-26]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, the Principal Regulations, was published in the Gazette of India on December 29, 1993 vide SEBI/LE/12/93.
2. The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993, was subsequently amended on:
   a) November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O. No.939 (E).
   b) January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.16(E).
   c) September 30, 1999 by the Securities and Exchange Board of Indi (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.795(E).
   d) February 17, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.135(E).
   e) August 8, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.743(E).
   f) March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278(E).
   g) May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).
   h) September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045(E).
   i) July 4, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 763(E).
   j) March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).
   k) September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O.No.1451 (E).
   l) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2008/11/126538.
   m) April 13, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/ NRO/ GN/ 2011 -12/03/12650.

n) July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board Of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2011 No. LAD-NRO/GN/2011-12/13/21222.

o) December 14, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Second Amendment) Regulations, 2011 No. LAD-NRO/GN/2011-12/30/37715.

p) May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

q) December 8, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide Notification No. SEBI/ LAD/ NRO/GN/ 2016-17/023.

r) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/037 read with March 29, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD -NRO/GN/2016-17/038.

s) July 13, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No.SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/011.

t) May 7, 2019 by Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2019 vide Notification No. SEBI/LAD -NRO/GN/2019/14.

u) April 17, 2020 by SEBI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

v) October 08, 2020 by Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD -NRO/GN/2020/34

w) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.

x) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

y) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2022 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/78.

z) January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.

aa) July 07, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide Notification no. SEBI/NRO/GN/2023/137.

bb) August 18, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.

cc) February 10, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Investor Charter) (Amendment) Regulations, 2025 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/228.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.10.27 23:05:49 +05'30'